प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.01.2026

धारा 129 BNSS के अंतर्गत निवारक कार्यवाही से संपत्ति संबंधी अपराधों में उल्लेखनीय कमी ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में ग्रामीण जोन द्वारा वर्ष 2025 में कमिश्नरेट व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करते हुए अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 129 के अंतर्गत कार्यवाही की संख्या बढाई गयी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अपराध होने से पहले ही उसे रोकना था, विशेष रूप से ऐसे संपत्ति संबंधी अपराध जो आम नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास को सीधे प्रभावित करते हैं।

वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 के अपराध आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हुआ कि इस निवारक रणनीति के अत्यंत सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ग्रामीण जोन में संपत्ति संबंधी अपराधों में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो यह दर्शाती है कि सक्रिय पुलिसिंग एवं विधिक कार्रवाई ने अपराध नियंत्रण में निर्णायक भूमिका निभाई है।

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक 129 BNSS की कार्यवाही का विवरण, ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबादः-

जोन	129 BNSS की कार्यवाही	
	YEAR-2024	YEAR-2025
ग्रामीण जोन	175	2848

वर्ष 2025 में 129 BNSS की कार्यवाही का शीर्षकवार विवरण ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबादः-

जोन	अपराध शीर्षक	129 बीएनएसएस की कार्यवाही
ग्रामीण जोन	शरीर सम्बन्धी अपराध	1884
	सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध	964
	कुल योग	**2848**

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक 152 BNSS की कार्यवाही का विवरण, ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबादः-

जोन	152 BNSS की कार्यवाही	
	YEAR-2024	YEAR-2025
ग्रामीण जोन	07	3832

निरोधात्मक कार्यवाही / संपत्ति जब्तीकरणः-

- ग्रामीण जोन में अपराधियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपराध कारित कर अर्जित अवैध सम्पत्ति को धारा 107 BNSS के अन्तर्गत कुल 18 लाख 48 हजार की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही माननीय न्यायालय में प्रचलित है।
- ग्रामीण जोन में धारा 111/112 BNSS के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 12 अभियोग पंजीकृत करते हुए 34 अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही-

ग्रामीण जोन में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर किये गये अपराधो में "उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986" के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

जोन	अपराध शीर्षक	अभियोग	अभियुक्त
ग्रामीण जोन	हत्या	5	29

	हत्या का प्रयास	1	3
	सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध	9	36
	धोखाधडी	1	3
	गोकशी	7	42
	योग	**23**	**113**

हिस्ट्रीशीट की कार्यवाही:-

ग्रामीण जोन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आदतन अपराधियों के क्रिया कलापो पर सतर्क दृष्टि रखे जाने के उद्देश्य से वर्ष-2025 में कुल 35 दुराचारी अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। साथ ही निष्क्रिय अथवा मृत दुराचारियों के कुल 25 हिस्ट्रीशीट खाके नष्ट कराये गये और निगरानी बन्द की गयी।

पुलिस मुठभेड में गिरफ्तारी:-

ग्रामीण जोन में गम्भीर अपराधों में संलिप्त रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के दौरान वर्ष-2025 में पुलिस मुठभेड की 63 घटनाओं में कुल 120 वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभाव:-

तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है:-

- लूट के मामलों मे 63% की कमी
- झपटमारी (Snatching) के मामलों में 13.55% की कमी
- गृह भेदन (House Breaking) के मामलों में 13.51% की कमी
- वाहन चोरी के मामलों में 22.50% की कमी
- अन्य चोरी के मामलों में 39.61% की कमी

यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि निवारक कार्रवाई से अपराधियों में भय एवं निरोधक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई तथा उन्हें सतत निगरानी में रखा गया, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगी।

दिनांक 01.01.2025 से 22.12.2025 तक सम्पत्ति संबंधी अपराधों का तुलनात्मक विवरण, ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद:-

जोन	डकैती		लूट		स्नैचिंग		गृह भेदन		वाहनचोरी		अन्य चोरी	
	YEAR-2024	YEAR-2025	YEAR-2024	YEAR-2025	YEAR-2024	YEAR-2025	YEAR-2024	YEAR-2025	YEAR-2024	YEAR-2025	YEAR-2024	YEAR-2025
ग्रामीण जोन	0	1	43	16	59	51	74	64	671	520	462	279

निवारक रणनीति एवं पुलिसिंग उपाय:-

संपत्ति अपराधों में संलिप्त या संदिग्ध आदतन अपराधियों की पहचान पूर्व अपराधिक रिकॉर्ड, स्थानीय सूचनाओं एवं बीट स्तर की जानकारी के आधार पर की गई। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 129 BNSS के अंतर्गत विधिक कार्रवाई कर उन्हें शांति एवं सदाचार बनाए रखने हेतु पाबंद किया गया।

इसके साथ ही बीट पेट्रोलिंग, रात्रि गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की दृश्य उपस्थिति, बाजार समितियों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय को भी सुदृढ़ किया गया। बाजारों, आवासीय कॉलोनियों, परिवहन केंद्रों एवं अपराध-प्रवण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती गई तथा राज्य एवं जिला बॉर्डर पर बैरियर चैकिंग करायी गयी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुयी।

BNSS की धारा 129 के बारे मे:-

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 129 एक महत्वपूर्ण निवारक कानूनी प्रावधान है, जिसके अंतर्गत पुलिस एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है, जो आदतन अपराधी हैं या जिनसे भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका हो तथा जिनकी गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति एवं संपत्ति के लिए खतरा बन सकती हैं।
- इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित अवधि के लिए शांति एवं सदाचार बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। उनसे जमानत अथवा मुचलका भरवाया जा सकता है। शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
- धारा 129 BNSS का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि अपराध की रोकथाम करना है। यह पुलिस को समय रहते हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे अपराध घटित होने से पहले ही उसे रोका जा सके और नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

जन सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता:-

- गाजियाबाद पुलिस, नागरिकों को सुरक्षित, संरक्षित एवं अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। धारा 129 BNSS के अंतर्गत की गई निवारक कार्रवाई से प्राप्त सकारात्मक परिणाम इस बात का प्रमाण हैं कि सक्रिय, उत्तरदायी एवं जन-केंद्रित पुलिसिंग अपराध नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी है।
- भविष्य में भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी ताकि अपराधों में स्थायी कमी सुनिश्चित की जा सके। गाजियाबाद पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे सतर्क रहें एवं पुलिस के साथ सहयोग कर समय पर सूचना साझा करें, जिससे कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 10 शातिर अपराधियो के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे0 रविन्दर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में अपराध नियंत्रण हेतु 10 शातिर अपराधियो के विरूद्ध नगर जोन के थाना विजयनगरी/कविनगर पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व अन्य जनपदों के विभिन्न थानों पर 106 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, शातिर अपराधियों का विवरण निम्नवत है।

नाम थाना	क0 सं0	अपराधी का नाम	उम्र	पंजीकृत अभियोगों की सं0
विजयनगर	1	हर्ष कुमार पुत्र किशन लाल निवासी एच–791 सैक्टर–09 विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद।	24 वर्ष	2
	2	अंशू पुत्र उमेश निवासी ननकी चौक सैक्टर–9 विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद।	24 वर्ष	2
कविनगर	3	रामा उर्फ राहुल पुत्र हेमचन्द निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।	28 वर्ष	30

	4	श्यामा उर्फ शाहिल पुत्र हेमचन्द निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।	28 वर्ष	25
	5	चिन्टू उर्फ श्रीकान्त पुत्र बिजेन्द्र निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।	21 वर्ष	6
	6	मोन्टी पुत्र राजेश कुमार निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।	21 वर्ष	6
	7	दिनेश उर्फ मोनू उर्फ राहुल पुत्र राजेश निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।	25 वर्ष	13
	8	पंकज उर्फ सोनू पुत्र राजेश निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।	27 वर्ष	9
	9	मंजू पत्नी जगदीश सिंह निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।	38 वर्ष	7
	10	रजनी पत्नी प्रशान्त निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।	35 वर्ष	6

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वाछिंत 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 02.01.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई तपन के साथ गाली गलौज करना एवं जान से मारने की नीयत से चाकू से वार कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 109(1)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात् आज दिनांक 03.01.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वाछिंत 05 अभियुक्तों 1. नवीन पुत्र लाल सिंह निवासी गली नं0-03 राधा विहार लोनी गाजियाबाद 2. शिवम उर्फ चुद्दी पुत्र दीनदयाल उर्फ लीलू निवासी धामा एन्क्लेव राहुल गॉर्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 3. गगन पुत्र अतेन्द्र निवासी सरस्वती विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 4. विशाल उर्फ काना पुत्र राजेश निवासी धामा एन्क्लेव थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 5. मनीष पुत्र प्रेमपाल निवासी अमित विहार गली न0 03, मंगल बाजार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध चाकू बरामद हुए। साक्ष्य संकलन व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त शिवम उर्फ चुद्दी ने बताया कि दिनांक 31.12.2025 को मेरे भाई नमन उर्फ चूल्लू की तपन व नितेश से तपन की गली के कोने पर गाली गलौच हो गयी थी। दिनांक 01/01/2026 को मैं और नवीन दोपहर के समय तपन की गली के पास परमानन्द विहार, राहुल गार्डन में बैठे थे तभी तपन, नितेश व रोहित, परमानन्द विहार से आ रहे थे तो मैंने तपन से पूछा कि तू मेरे भाई को क्या कह रहा था। इसी बात पर तपन गलत बोलने लगा। मैंने विशाल, गगन और मनीष को मौके पर बुला लिया, फिर मैंने और नवीन ने अपने-अपने पास रखे चाकू निकाल लिये तथा विशाल, गगन और मनीष ने तपन को पकड लिया। मैंने और नवीन ने जान से मारने की नीयत से चाकू से वार कर दिये और हम मौका पाकर वहाँ से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. नवीन पुत्र लाल सिंह निवासी गली नं0 3 राधा विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

2.शिवम उर्फ चुद्दी पुत्र दीनदयाल उर्फ लीलू निवासी धामा एन्क्लेव राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

3. गगन पुत्र अतेन्द्र निवासी सरस्वती विहार थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
4. विशाल उर्फ काना पुत्र राजेश निवासी धामा एन्क्लेव थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
5. मनीष पुत्र प्रेमपाल निवासी अमित विहार, गली न0 03, मंगल बाजार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 02 अवैध चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।
अभियुक्त नवीन उपरोक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर के पर छेडखानी का 01 अभियोग, अभियुक्त शिवम उर्फ चुद्दी उपरोक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में 01 अभियोग, अभियुक्त गगन उपरोक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर हत्या व आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग, अभियुक्त विशाल उर्फ काना उपरोक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर मारपीट के सम्बन्ध में 04 अभियोग पंजीकृत हैं।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा असहाय व्यक्तियों को रैन बसेरे में शिफ्ट किया गया

ठंड के मौसम में असहाय एवं बेसहारा व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने हेतु पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खुले आसमान के नीचे रह रहे जरूरतमंद लोगों को चिह्नित कर उन्हें नज़दीकी रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है।

अभियान की मुख्य बातें-

- पुलिस टीमों ने देर रात शहर के प्रमुख चौराहों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे एवं बाज़ार क्षेत्रों में गश्त कर **असहाय व्यक्तियों की पहचान** की।
- चिह्नित व्यक्तियों को तत्काल **रैन बसेरों** में पहुँचाया गया, जहाँ उनके लिए **गर्म बिस्तर**, **कंबल** एवं **भोजन की व्यवस्था** की गई।
- इस कार्यवाही में स्थानीय प्रशासन एवं नगर निगम का भी सहयोग रहा, जिससे राहत कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ।
- अभियान का उद्देश्य **ठंड से बचाव**, **मानवीय संवेदनाओं का संरक्षण** तथा **समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा** प्रदान करना है।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा रैन बसेरा में दाखिल असहाय व्यक्तियों का विवरण –

क्रम सं0	रैन बसेरा में शिफ्ट किए गए व्यक्तियों के नाम	रैन बसेरा का नाम	किसके द्वारा शिफ्ट किया गया
1.	सचिन कुमार निवासी -बाराबंकी	संजय पुरी रैन बसेरा	मोदीनगर पुलिस
2.	कपिल निवासी- बुलन्दशहर	छतरी वाला मन्दिर रैन बसेरा	मोदीनगर पुलिस
3.	संतोष कुमार निवासी- शिमला	छतरी वाला मन्दिर रैन बसेरा	मोदीनगर पुलिस
4.	राजेश मिश्रा निवासी गोविन्दपुरी गाजियाबाद	छतरी वाला मन्दिर रैन बसेरा	मोदीनगर पुलिस
5.	रविदत्त निवासी- शाहजहाँपुर	छतरी वाला मन्दिर रैन बसेरा	मोदीनगर पुलिस
6.	महताब निवासी ग्राम नाहल गाजियाबाद	कार्यालय परिसर नगर पंचायत डासना रैन बसेरा	वेव सिटी पुलिस
7.	सोनू	पुराना बस अड्डा	कोतवाली नगर पुलिस
8.	संजय	रेलवे स्टेशन	कोतवाली नगर पुलिस
9.	राहुल	पुराना रेलवे स्टेशन	कोतवाली नगर पुलिस
10.	कुशाल निवासी आगरा	पुराना रेलवे स्टेशन	कोतवाली नगर पुलिस
11.	विजयपाल	रेलवे स्टेशन	कोतवाली नगर पुलिस
12.	कमल	रेलवे स्टेशन	कोतवाली नगर पुलिस
13.	राजपाल	रेलवे स्टेशन	कोतवाली नगर पुलिस
14.	जगन्नाथ	रेलवे स्टेशन	कोतवाली नगर पुलिस
15.	गुड्डू	रेलवे स्टेशन	कोतवाली नगर पुलिस
16.	स्वरूप	पुराना रेलवे स्टेशन	कोतवाली नगर पुलिस

यह पहल पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद की सामाजिक जिम्मेदारी एवं मानवीय संवेदनशीलता का प्रतीक है। ठंड के मौसम में असहाय लोगों को राहत पहुँचाना प्रशासनिक कर्तव्य के साथ-साथ समाज के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी भी है।

पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद नागरिकों से अपील करती है कि यदि कहीं कोई असहाय व्यक्ति ठंड से जूझता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने को दें।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 02.01.2026 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त चोरी/लूट की घटना कारित

करने जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 03 विपक्षी/ अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्व कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0सं0	वाद संख्या	थाना	विपक्षी का नाम व पता	आपराधिक इतिहास
1	144/2025	लोनी बॉर्डर	विक्रान्त पुत्र प्रमोद निवासी राजीव गार्डन मंगल बाजार संगम विहार, थाना लोनी बॉर्डर, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 59/2019 धारा 392,411 भादवि थाना लोनी बॉर्डर, 2. मु0अ0सं0 496/2023 धारा 380,411 भादवि थाना लोनी बॉर्डर
2	152/2025	लोनी	साहिल पुत्र खलील निवासी आशियाना सिटी हड्डी फैक्ट्री के सामने अशोक विहार थाना लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना लोनी, 2. मु0अ0सं0 97/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना लोनी,
3	277/2025	शालीमार गार्डन	अंश जैन पुत्र विजय जैन निवासी सी-234 नियर महावीर पार्क शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 70/2024 धारा 379,411 भादवि थाना शालीमार गार्डन, 2. मु0अ0सं0 1065/2022 धारा 393 भादवि थाना इन्द्रापुरम

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष-2025 में अब तक कुल 160 एवं वर्ष **2026 में 03-** विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) तथा वर्ष-2025 में अब तक कुल 96 एवं वर्ष **2026 में** 01- विपक्षी/अभियुक्त को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

साइबर सेल थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 1,70,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी ।

दिनांक 20.08.2025 को साइबर सेल थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा एनसीआरपी पोर्टल शिकायत संख्या 33108250099742 आवेदिका श्रीमती पल्लवी त्रिवेदी पत्नी श्री मनीष त्रिवेदी नि0 राजेंद्र नगर साहिबाबाद थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद के साथ हुए UPI रिटेलेड साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 1,70,000/- रूपये की धनराशि ट्रांसफर करने के सम्बन्ध में एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी ।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20.08.2025 को आवेदिका श्रीमती पल्लवी त्रिवेदी पत्नी श्री मनीष

त्रिवेदी निवासी राजेंद्र नगर साहिबाबाद थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद के साथ 1,70,000/- रूपये का UPI रिटेलेड साइबर फ्रॉड से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को बैंको से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 02.01.2026 को आवेदिका उपरोक्त के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि 1,70,000/- रूपये को वापस कराया गया आवेदिका उपरोक्त द्वारा थाना शालीमार गार्डन पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन साइबर सेल

साइबर सेल थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 56,940/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 10.08.2025 को साइबर सेल थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा एनसीआरपी पोर्टल शिकायत संख्या 33108250092407 आवेदक श्री हुकुम सिंह भाकुनी निवासी शालीमार गार्डन एक्स 2 थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद के साथ हुए UPI रिटेलेड साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 56,940/- रूपये की धनराशि ट्रांसफर करने के सम्बन्ध में एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 10.08.2025 को आवेदक श्री हुकुम सिंह भाकुनी निवासी शालीमार गार्डन एक्स 2 थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद के साथ 56,940/- रूपये का UPI रिटेलेड साइबर फ्रॉड से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को बैंको से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 02.01.2026 को आवेदिका उपरोक्त के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि 56,940/- रू० को वापस कराया गया आवेदक उपरोक्त द्वारा थाना शालीमार गार्डन पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन साइबर सेल

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री अवनीश कुमार तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय गाजियाबाद द्वारा की गयी विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री रवि शर्मा द्वारा मा०न्यायालय में

की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना कविनगर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 498A/304B/323 भादवि व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्त राहुल पुत्र हल्के अहिरवार निवासी E-5/4 मधुबन बापूधाम, कविनगर गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम धरारी, छतरपुर, मध्यप्रदेश को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-07 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 03.01.2026 को वैकल्पिक धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

वादी की बहन के साथ अभियुक्त(बहनोई) द्वारा बेरहमी से मारपीट करके, उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 12.06.2020 को थाना कविनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वाँछित को किया गिरफ्तार

दिनांक 02.01.2026 की थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 0001/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त चेतन शर्मा को उसके मस्कन म0नं0-608 सी ब्लाक एस.जी. इम्प्रेशन 58 थाना नन्दग्राम गा0बाद से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

1. चेतन शर्मा पुत्र स्व0 प्रवेश शर्मा नि0 249 विकलांग कालोनी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद , हाल पता किराये का मकान शताब्दीपुरम थाना मधुवन बापूधाम गाजियाबाद तथा वर्तमान पता- म0नं0-608 सी ब्लाक एस.जी. इम्प्रेशन 58 थाना नन्दग्राम गा0बाद

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त चेतन शर्मा उपरोक्त विरूद्ध पूर्व में थाना सिहानीगेट पर छिनैती के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद।

आज दिनांक 03/01/2026 को थाना मसूरी पुलिस नाहल जेल रास्ते पर बंबे के पास मसूरी की तरफ जाने वाले तिराहे पर चेकिंग कर रही थी तभी एक बाइक सवार मसूरी की तरफ जेल नाहल रोड की ओर तिराहे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया पुलिस पार्टी द्वारा जिसे रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा बाइक न रोक कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया तथा बाइक मोडकर भागने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में उसके पैर में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अबरार पुत्र अनवार निवासी ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड बताया।

अभियुक्त के विरुद्ध करीब दो दर्जन लूट,गैंगस्टर, चोरी आदि के मुकदमे अलग अलग थानों में पंजीकृत हैं। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता

अबरार पुत्र अनवार निवासी ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 तमंचा 315 बोर 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर

01 बाइक स्पलेंडर बिना नंबर प्लेट।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम।